

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

प्रकरण संख्या:- 15/18

प्रकरण तारीख:- 20.2.18

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक:- 07/03/2018

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, कोटकासिम के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नरवास तहसील कोटकासिम की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं० 60 मे सहखातेदार कृषि की जमाबंदी चौसाला राजस्व रिकोर्ड मे निम्न प्रकार दर्ज है। जगदीशचन्द्र, उदयराम पुत्रान गोस्धन स. भा. 1/8, केशरीदेवी पत्नी व रामनिवास, महावीर, जगराम, हंसराज पुत्रान व कैलाश, सुमीला पुत्रीयान उमराव 1/8 हि०, रमेशचन्द्र, सुबेसिंह, सतवीरसिंह, सतीशकुमार, वीरसिंह पुत्रान व भगवानी, चन्द्रकला पुत्रीयान व शान्ति पत्नी दीपचन्द्र 1/8, बिशम्बर पुत्र ईन्दर 1/8, रामजीलाल, डीगराम पुत्रान घीसा 1/2, गंगादेई पत्नी व सत्यनारायण, कमलसिंह, मुन्नालाल, ईश्वरसिंह, लालचन्द्र पुत्रान व किरनोदेवी, संतोषदेवी पुत्रीयान अमीचन्द्र 1/4 हि०, किशनसिंह पुत्र कन्हीराम 1/4 हि०, ओमप्रकाश, सरजीत, राजकरण पि० जोधा 1/8, रामवतार, सूरतसिंह, विरेन्द्र, फूलसिंह, महीपाल पुत्रान गंगाराम 1/8 हि० अहीर सा० देह खातेदार के हिस्सा गलत दर्ज है। इस प्रकरण की मेरे (तहसीलदार भू अ. कोटकासिम) द्वारा हल्का पटवारी से जाँच करवाये जाने व भू० निरीक्षक अभिलेख द्वारा मिलान किये जाने पर पर उक्त खातेदारो सही हिस्सा मुताबिक गत जमाबंदी सम्वत 2066-2069 के खाता सं० 51 के अनुसार किशनसिंह पुत्र कन्हीराम 1/16 हि० राहिन PNB बूढीबावल, रामजीलाल, डीगराम पि० घीसा 1/8 हि०, गंगादेवी पत्नी व सत्यनारायण, कमलसिंह, मुन्नालाल, ईश्वरसिंह, लालचन्द्र पुत्रान व किरनोदेवी, सन्तोषदेवी पुत्रीयान अमीचन्द्र 1/16 हि० है।

प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के साथ संलग्न राजस्व रिकोर्ड एव हल्का पटवारी की रिपोर्ट व तहसीलदार, कोटकासिम की अभिषंसा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत दुरुस्त किये जाने योग्य पाया जाता है अतः


आदेश है कि

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुसरण मे तहसीलदार, कोटकासिम को आदेश दिया जाता है कि ग्राम नरवास तहसील कोटकासिम की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2070 से 2073 के खाता सं० 60 मे सहखातेदार कृषि की जमाबंदी चौसाला राजस्व रिकोर्ड मे जगदीशचन्द्र, उदयराम पुत्रान गोस्धन स. भा. 1/8, केशरीदेवी पत्नी व रामनिवास, महावीर, जगराम, हंसराज पुत्रान व कैलाश, सुमीला पुत्रीयान उमराव 1/8 हि०, रमेशचन्द्र, सुबेसिंह, सतवीरसिंह, सतीशकुमार, वीरसिंह पुत्रान व भगवानी, चन्द्रकला पुत्रीयान व शान्ति पत्नी दीपचन्द्र 1/8, बिशम्बर पुत्र ईन्दर 1/8, रामजीलाल, डीगराम पुत्रान घीसा 1/2, गंगादेई पत्नी व सत्यनारायण, कमलसिंह, मुन्नालाल, ईश्वरसिंह, लालचन्द्र पुत्रान व किरनोदेवी, संतोषदेवी पुत्रीयान अमीचन्द्र 1/4 हि०, किशनसिंह पुत्र कन्हीराम 1/4 हि०, ओमप्रकाश, सरजीत, राजकरण पि० जोधा 1/8, रामवतार, सूरतसिंह, विरेन्द्र, फूलसिंह, महीपाल पुत्रान गंगाराम 1/8 हि० अहीर सा० देह खातेदार के हिस्सा के स्थान पर खातेदारो का सही हिस्सा मुताबिक गत जमाबंदी सम्वत 2066-2069 के खाता सं० 51 के अनुसार किशनसिंह पुत्र कन्हीराम 1/16 हि० राहिन PNB बूढीबावल, रामजीलाल, डीगराम पि० घीसा 1/8 हि०, गंगादेवी पत्नी व सत्यनारायण, कमलसिंह, मुन्नालाल, ईश्वरसिंह, लालचन्द्र पुत्रान व किरनोदेवी, सन्तोषदेवी पुत्रीयान अमीचन्द्र 1/16 हि० दुरुस्त किया जावे व शेष इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

७


निर्णय आज दिनांक 07/03/18
सुनाया गया।

को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे


(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)

प्रेषिति:- तहसीलदार, कोटकासिम को वास्ते पालनार्थ प्रेषित है।


(विश्वामित्र मीना, आर0ए0एस0)

उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम (अलवर)